

राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :प.6(46)चिस्वा/2/2013

जयपुर, दिनांक : 26 JUN 2019

—::आदेश::—

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 25.05.2013 की अभिशंषानुसार डॉ. दिनेश गौड, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) जन्म तिथि 24.04.1961 को समसंख्यक आदेश दिनांक 05.06.2014 द्वारा वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद पर दिनांक 11.07.2011 को पदोन्नति प्रदान की गई थी। डॉ. गौड को दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने के कारण स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 25.05.2013 की अभिशंषाओं को रिव्यू कर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में डॉ. दिनेश गौड, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) जन्म तिथि 24.04.1961 को दिनांक 11.07.2016 से वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

06 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण नहीं होने के फलस्वरूप डॉ. दिनेश गौड को प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद दिनांक 01.04.2014 से दी गई पदोन्नति एतद्वारा निरस्त की जाती है। डॉ. गौड वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप यथा स्थान पदस्थापित रहेंगे।

आज्ञा से,

(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर/प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.सी.एल., जयपुर।
6. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
7. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रधानाचार्य, आर.एफ.पी.टी.सी।
8. संबंधित अधिकारी/कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली
9. प्रभारी सर्वर रूप, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईड पर उपलोड करावेवें।

(ओ. पी. वर्मा)

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.8(16)चिस्वा / 2 / 2018

जयपुर, दिनांक : 26 JUN 2019

--:आदेश:--

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत गठित स्कीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 02.08.2018 में डॉ. मुकेश कुमार मीणा, चिकित्सा अधिकारी, जन्म तिथि 01.10.1981 के नाम पर विचार कर इनके विरुद्ध विभागीय जाँच लम्बित होने के कारण इनका पदौन्नति का परिणाम बन्द लिफाफे में रखने की अभिशंषा की गई है।

निदेशक (जन.स्वा.) द्वारा प्रेषित प्रस्तावानुसार डॉ. मुकेश कुमार मीणा का बन्द लिफाफा खोला जाकर डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत स्कीनिंग कमेटी की अभिशंषा अनुसार डॉ. मुकेश कुमार मीणा, चिकित्सा अधिकारी, जन्म तिथि 01.10.1981 को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 01.04.2015 से पदौन्नत किया जाता है।

डॉ. मुकेश कुमार मीणा को पदौन्नति पर यथा स्थान पदस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर / प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.सी.एल., जयपुर।
6. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
7. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी / प्रधानाचार्य, आर.एफ.पी.टी.सी।
8. संबंधित अधिकारी
9. कम्प्यूटर सैल / रक्षित पत्रावली
10. प्रभारी सर्वर रूप, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईड पर उपलोड करावेवें।

(ओ. पी. वर्मा)

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:प.12(1)चिस्वा / 2 / 2019 / आर-1893

जयपुर, दिनांक: 21.06.2019

आदेश

डॉ० रघुनाथ प्रसाद, चिकित्सा अधिकारी (जनरल मेडिसन), राजकीय चिकित्सालय, सीकर का चयन जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर में सीनियर रेजीडेन्ट (जनरल मेडिसन) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप नियमानुसार कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

- ६० -

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1— निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
- 2— प्रधानाचार्य, जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
- 3— प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, सीकर।
- 4— डॉ० रघुनाथ प्रसाद, चिकित्सा अधिकारी (जनरल मेडिसन), राजकीय चिकित्सालय, सीकर को निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर में देकर इस विभाग को सूचित करें।
- 5— कम्प्यूटर सैल / रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:प.10(1)चिस्वा / 2 / 2019 / ए-330

जयपुर, दिनांक:

E-4 JUN 2019

आदेश

डॉ. अविनाश कुमार, चिकित्सा अधिकारी(अस्थि रोग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलाडा, जोधपुर का चयन जे0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज, अजमेर में सीनियर रेजीडेन्ट (अस्थि रोग) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप नियमानुसार कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1- निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
- 2- प्रधानाचार्य, जे0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
- 3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
- 4- डॉ. अविनाश कुमार, चिकित्सा अधिकारी(अस्थि रोग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलाडा, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति जे0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज, अजमेरे में देकर इस विभाग को सूचित करें।
- 5- कम्प्यूटर सैल / रक्षित पत्रावली।



शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग


क्रमांक:प.10(1)चिस्वा / 2 / 2019 / आर-2042

जयपुर, दिनांक: 25-6-2019

आदेश

डॉ० राजेन्द्र लामरोर, चिकित्सा अधिकारी (रेस्पिरेटरी मेडिसन), टी.बी.क्लिनिक, भीलवाडा का चयन जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर में सीनियर रेजीडेंट (रेस्पिरेटरी मेडिसन) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप नियमानुसार कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,



(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1- निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
- 2- प्रधानाचार्य, जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
- 3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा।
- 4- डॉ० राजेन्द्र लामरोर, चिकित्सा अधिकारी (रेस्पिरेटरी मेडिसन), टी.बी.क्लिनिक, भीलवाडा को निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर में देकर इस विभाग को सूचित करें।
- 5- कम्प्यूटर सैल / रक्षित पत्रावली।



(ओ. पी. वर्मा)
सहायक शासन सचिव